



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102021-230312
CG-DL-E-09102021-230312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3834]
No. 3834]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/ आश्विन 16, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ ASVINA 16, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4169(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि दिल्ली राज्य के नार्थ जिले में NH-344 M के कि.मी. 0 से कि.मी.13.1 (कमरा न. ४, ADM दफ्तर (उत्तर), डीएम दफ्तर काम्प्लेक्स, अलीपुर दिल्ली-११००३६) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट उत्तर दिल्ली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

दिल्ली राज्य के नार्थ जिले में NH-344 M के कि.मी. 0 से कि.मी.13.1 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: दिल्ली		जिले का नाम: नार्थ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नरेला					
गांव का नाम: बकौली					
1	25//29 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0215000(हेक्टेयर)	0.0215000
2	25//30 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0215000(हेक्टेयर)	0.0215000
3	42//16 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0211000(हेक्टेयर)	0.0211000
4	42//17 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0514000(हेक्टेयर)	0.0514000
5	42//25 min	निजी(प्रेभट)	कृषि	0.0194000(हेक्टेयर)	0.0194000
6	43//21 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0105000(हेक्टेयर)	0.0105000
7	51//11 min	निजी(निजी)	कृषि	0.0244000(हेक्टेयर)	0.0244000
8	51//20 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.1307000(हेक्टेयर)	0.1307000
9	51//21 min	निजी(निजी)	कृषि	0.0464000(हेक्टेयर)	0.0464000
10	51//22	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0464000(हेक्टेयर)	0.0464000
11	51//28 min	निजी(निजी)	कृषि	0.0169000(हेक्टेयर)	0.0169000
12	52//1 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0464000(हेक्टेयर)	0.0464000
13	52//13/1 min	निजी(निजी)	कृषि	0.0084000(हेक्टेयर)	0.0084000
14	52//14 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0042000(हेक्टेयर)	0.0042000
15	52//15 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0885000(हेक्टेयर)	0.0885000
16	52//2 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0375000(हेक्टेयर)	0.0375000
17	52//6 min	निजी(निजी)	कृषि	0.0447000(हेक्टेयर)	0.0447000
18	52//7 min	निजी(प्रेभट)	कृषि	0.0143000(हेक्टेयर)	0.0143000

19	52//8 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0211000(हेक्टेयर)	0.0211000
20	52//9 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0455000(हेक्टेयर)	0.0455000
21	57//13 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.1686000(हेक्टेयर)	0.1686000
22	57//2 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.1383000(हेक्टेयर)	0.1383000
23	57//8 min	अन्य(निजी और ग्रामसभा)	कृषि	0.0704000(हेक्टेयर)	0.0704000
24	57//9 min	निजी(निजी)	कृषि	0.0843000(हेक्टेयर)	0.0843000
कुल				1.1824	1.1824

[फा. सं. PIU/DWE/19/05/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2021

S.O. 4169(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-344 M in the stretch of land from Km. 0 to Km. 13.1 (Office of ADM (North), DM office complex, Alipur, Delhi-110036) in the district of NORTH in the state of DELHI, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate North Delhi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in NH-344 M in the stretch of land from Km. 0 to Km. 13.1 in the district of NORTH in the State of DELHI.

State: DELHI		District: NORTH			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Narela					
Village: Bakoli					
1	25//29 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0215000(Hectare)	0.0215000
2	25//30 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0215000(Hectare)	0.0215000
3	42//16 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0211000(Hectare)	0.0211000
4	42//17 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0514000(Hectare)	0.0514000
5	42//25 min	Private	Agriculture	0.0194000(Hectare)	0.0194000
6	43//21 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0105000(Hectare)	0.0105000
7	51//11 min	Private	Agriculture	0.0244000(Hectare)	0.0244000
8	51//20 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.1307000(Hectare)	0.1307000
9	51//21 min	Private	Agriculture	0.0464000(Hectare)	0.0464000
10	51//22	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0464000(Hectare)	0.0464000
11	51//28 min	Private	Agriculture	0.0169000(Hectare)	0.0169000
12	52//1 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0464000(Hectare)	0.0464000
13	52//13/1 min	Private	Agriculture	0.0084000(Hectare)	0.0084000
14	52//14 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0042000(Hectare)	0.0042000
15	52//15 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0885000(Hectare)	0.0885000
16	52//2 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0375000(Hectare)	0.0375000
17	52//6 min	Private	Agriculture	0.0447000(Hectare)	0.0447000
18	52//7 min	Private	Agriculture	0.0143000(Hectare)	0.0143000
19	52//8 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0211000(Hectare)	0.0211000
20	52//9 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0455000(Hectare)	0.0455000
21	57//13 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.1686000(Hectare)	0.1686000

22	57//2 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.1383000(Hectare)	0.1383000
23	57//8 min	Common(Private & Gramsabha)	Agriculture	0.0704000(Hectare)	0.0704000
24	57//9 min	Private	Agriculture	0.0843000(Hectare)	0.0843000
Total				1.1824	1.1824

[F. No. PIU/DWE/19/05/3A]

RAJESH GUPTA, Director